18/7/25 प्रा० पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। मूल वाद का निर्णय किया जा चुका है अतः प्रा० पत्र 212 सीपीसी का चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रा० पत्र 212 सीपीसी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रा० फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:07:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner